-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1993/वैशाख 11, 1915
No. 161] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1993/VAISAKHA 11, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 392(अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टूटी-

कोरिन पत्तन के न्यासियों के मंडल द्वारा बनाई गई टूटीकोरिन पत्तन न्यास (
मरम्मत की लाइसेंसिंग शिप कैंडलिंग, चिपिंग व पेंटिंग तथा विविध व्यापार) नि
जो कि तमिलनाडु के राजपत्र में दिनांक 22-4-92 तथा 29-4-92 को प्रकाशित
इस अधिसूचना में यथा अनुबंध अनुसूची के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[फा. सं. पी आर-16012/8/92-

अशोक जोशी, संयुक्त स

अनुसूची

टूटीकोरिन पत्तन न्यास

टूटीकोरिन पत्तन न्यास (जहाज मरम्मत की लाइसेंसिंग, शिप कैंडलिंग, चिपिंग व पेंटिंग तथा विविध व्यापार) संशोधन नियमावली, 1992

[सं. टी-39/2/91-1]

सं. एस आर ओ—सी 5 92:—टूटीकोरिन पत्तन न्यास के न्यासियों का मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टूटीकोरिन पत्तन न्यास (जहाज-मरम्मत की लाइसेंसिंग, शिप कैंडलिंग, चिपिंग व पेंटिंग तथा विविध व्यापार) संशोधन नियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन कर है तथा इन्हें उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (2) के अधीन यथापेक्षि इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा है तथा यहां यह नोटिस भी दिया कि उक्त नियमावली के लिए केन्द्रीय सरकार का अनु मोदन, उक्त नियमावली के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 14 दिन (2 सप्ताह) तक अथवा उसके पश्चात् प्राप्त किया जाएगा।

2. यह नियमावली, टूटीकोरिन पत्तन न्यास (जहाज-मरम्मत की लाइसेंसिंग शिप कैंडलिंग चिपिंग तथा पेंटिंग एवं विविध व्यापार) संशोधन नियमावली 1992 कही जाएगी

3. यह नियमावली, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने से लागू होगी।

4. उक्त नियमावली के नियम 4 के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे

"बशर्ते कि उन मामलों में जहां स्टीमर एजेन्ट शिप-स्टोर्स सप्लाई कर रहे हों अथवा जिस जहाज के वे एजेन्ट हैं उसके लिए खाद्यान्न सप्लाई कर रहे हों, वहां स्टीमर एजेन्ट को लाइसेंस के स्वामित्व से छूट दी जाएगी।"

उक्त नियमावली का नियम 12 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"उक्त समय-समय पर निर्धारित किए गए शुल्क के भुगतान के बिना कोई [illegible] को जारी अथवा इसका नवीकरण नहीं किया जाएगा।"

नियमावली—भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष की) जी आर एस 417 में सं. आर डब्ल्यू पी जी एल 2 81, दिनांक 7 अप्रैल,

आर जायामोहन पिल्ले, अध्यक्ष, टूटीकोरिन पत्तन न्यास

[illegible]क कार्यालय भवन,

628004, 7 अप्रैल, 1992

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1993

S.O. 1392(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of [illegible]4 of the Major Port Trust Act, 1963, the Central Government here-[illegible]s the amendment to Tuticorin Port Trust (Licensing of Ship Repair-Chandling, Chipping & Painting and Miscellaneous Trades) Regula-[illegible], made by the Board of Trustees of Tuticorin Port in exercise of the [illegible]nferred on them under Section 123 of the Major Port Trust Act, [illegible] duly published in Tamil Nadu Gazette dated 22-4-1992 and 29-4-92 [illegible]y, as detailed in the schedule annexed to this Notification.

[File No. PR-16012/8/92-PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

TUTICORIN PORT TRUST

[illegible]RIN PORT TRUST (LICENSING OF SHIP REPAIRING, SHIP [illegible]LING, CHIPPING AND PAINTING AND MISCELLANEOUS TRADES) AMENDMENT REGULATIONS, 1992

[No. T-39/2/91-1]

[illegible]SRO C-5/92.—In exercise of the powers conferred by Section 123 [illegible]ajor Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Tuticorin Port [illegible]reby makes the following amendments to the Tuticorin Port Trust

101

(Licensing of Ship Repairing, Ship Chandling, Chipping and Painting and Miscellaneous Trades) Regulations, 1984 and the same are hereby published as required under sub-section (2) of section 124 of the said Act and for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the approval of the Central Government to the said regulations will be sought for on or after the expiry of a period of 14 days from the date on which the said regulations are published in the Tamil Nadu Government Gazette successively for two weeks.

2. These regulations shall be called the Tuticorin Port Trust (Licensing of Ship Repairing, Ship Chandling, Chipping and Painting and Miscellaneous Trades) Amendment Regulations, 1992.

3. They shall come into force with effect from the date of notification in the Gazette of India.

4. After regulation 4 of said regulations the following proviso shall be added :—

"Provided that the Steamer Agents shall be exempted from the possession of the licence as mentioned above in cases where they happen to supply ship stores or provisions to the ships for which they are the Agents".

5. Regulation 12 of the said regulations shall be substituted, as follows :—

"No licence shall be issued or renewed except on payment of fee as fixed by the Board from time to time."

Principal regulations—Government of India, Ministry of Surface Transport (Port Wing's) Notification at GSR 47 in No. PW/PGL/2|81, dated the 7th April, 1984.

R. JAYAMOHAN PILLAI, Chairman,
Tuticorin Port Trust.

Administrative Office Buildings,
Tuticorin-628004, 7th April, 1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993